न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–5, मथुरा ।

विशेष सत्रवाद संख्या–45/2012
उ०प्र० राज्य बनाम बनी खॉ आदि

28–04–2025

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर अभियुक्तगण बनी खॉ, छोटे, शाहिद व मुश्ताक की उपस्थिति, प्रार्थनापत्र पर उनके अधिवक्ता द्वारा, केवल आज के लिये मानी गयी।

पत्रावली के परिशीलन से विदित हुआ कि अभियोजन की ओर से जनता के साक्षी पी०डब्लू० 1 को न्यायालय के समक्ष पूर्व में परीक्षित करया गया है, जिनसे अभियुक्त बनी खॉ, मुश्ताक व शाहिद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा दिनांक 05.06.2023 को की गयी और उक्त दिनांक को पी०डब्लू० 1 से प्रतिपरीक्षा जारी रही, जो कि दिनांक 16.08.2024 को पूर्ण हुई, तत्पश्चात पत्रावली शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत हो रही है।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा प्रार्थनापत्र 51 ख अन्तर्गत धारा 311 द०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया, जिस पर उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 51 ख अन्तर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० –

प्रार्थना पत्र 51 ख राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट), मथुरा, द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मु०अ०सं० 391/2011 धारा 2/3 गैंग एक्ट बनाम बनी आदि में विरूद्ध थाना छाता पर पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष शेरगढ़ द्वारा सम्पापित कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था, किन्तु विवेचक द्वारा गवाह सूची में एफ०आई०आर० लेखक जयवीर सिंह को गवाह नही बनाया है, इसलिये बिना लेखक की गवाही के प्रपत्रो का प्रदर्श साबित नही किया जा सकता है, इसलिये सी०सी० 569 जयवीर सिंह को गवाही हेतु तलब किया जाना आवश्यक है। अतः सी०सी० 569 जयवीर सिंह को गवाही हेतु धारा 311 द०प्र०सं० के अन्तर्गत तलब किये जाने की याचना की गयी है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र 51 ख के विरूद्ध कोई मौखिक अथवा लिखित आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है।

यहॉ पर प्रार्थनापत्र 51 ख के सम्बन्ध में धारा–311 दं०प्र०सं० ध्यान देने योग्य है, जिसके अनुसार–

''धारा–311. आवश्यक साक्षी का समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति.–कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनःपरीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।''

पत्रावली के परिशीलन से विदित हुआ कि उक्त विशेष सत्रवाद में, प्रथम सूचना रिपोर्ट, वादी मुकदमा देविन्दर सिंह द्वारा दिनांक 01.01.2011 को अभियुक्तगण वनी खॉ आदि के विरूद्ध धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, थाना छाता में पंजीकृत करायी गयी थी। उक्त मुकदमें की विवेचना थानाध्यक्ष शेरगढ़ द्वारा सम्पादित कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, परन्तु विवेचक द्वारा, उक्त घटना के एफ०आई० आर० लेखक सी०सी० 569 जयवीर सिंह को गवाह नही बनाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में आधार पर्याप्त होने के कारण एफ०आई० आर० लेखक सी०सी० 569 जयवीर सिंह को प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण के लिये, साक्ष्य हेतु धारा 311 द०प्र०सं० के अन्तर्गत आहूत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, तदनुसार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 51 ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट), द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 51 ख अन्तर्गत धारा 311 भा०द०सं० स्वीकार किया जाता है। एफ०आई० आर० **लेखक सी०सी० 569 जयवीर सिंह** को न्यायालय में साक्ष्य हेतु सम्मन निर्गत हो।

साथ ही **वादी मुकदमा देवेन्द्र सिंह** को भी साक्ष्य हेतु सम्मन निर्गत हो। पत्रावली उक्त अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य हेतु दिनांक 24.06.2025 को प्रस्तुत हो।

(श्वेता वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–5/
विशेष न्यायाधीश (गिरोहबंद अधिनियम),
जनपद मथुरा

Digitally signed by SWETA VERMA
Date: 2025.04.27 06:48:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court